(156)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 845–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–2–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 746/2012–13/अपील.

....

लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री धनीराम
निवासी ग्राम दाने का पुरा (दुहिया)
तहसील व जिला ग्वालियर

.........आवेदक

विरूद्ध

1–देवीराम पुत्र श्री थम्मा
2–रतीराम पुत्र श्री थम्मा
निवासीगण ग्राम दाने का पुरा (दुहिया)
तहसील व जिला ग्वालियर

................अनावेदकगण

....

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक– आवेदक
श्री आर.डी.शर्मा, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1
श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः २९|९|१७ को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–02–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–6–12 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 29–4–13 को अवधि बाहय प्रस्तुत की गई । अतः विलम्ब क्षमा हेतु अवधि बाहय की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । साथ ही आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त नहीं

होने पर सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने से छूट प्रदान करने हेतु संहिता की धारा 48 अंकित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 24–2–15 को आदेश पारित कर अवधि बाह्य की धारा 5 का आवेदन पत्र एवं संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाकर निगरानी समाप्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष दिनांक 30–6–12 को केवल 8 माह विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है और विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में विलम्ब का सदभाविक कारण दर्शाया गया था जिसे मान्य नहीं कर अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक की ओर से नकल प्राप्त नहीं होने पर संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रमाण स्वरू॰ रसीद संलग्न की गई थी इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा संहिता धारा 48 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करने में घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी तक प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः क्षेत्राधिकार रहित आदेश है और क्षेत्राधिकार रहित आदेश के संबंध में समय सीमा लागू नहीं होती है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदकगण की ओर से समय सीमा के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा गुणदोष पर तर्क प्रस्तुत किये गये हैं जो इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष समय सीमा के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद न्यायालय का कर्तव्य है कि वह समय सीमा के बिन्दु पर विचार करें । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त के समक्ष अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में यह आधार लिया गया है कि अधिवक्ता द्वारा आवेदक को आदेश की सूचना नहीं दी गई है, जो कि समाधानकारक कारण नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया

गया कि संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ रसीद प्रस्तुत नहीं की गई है इसलिये यह कहना उचित नहीं है कि उन्हें नकल प्राप्त नहीं हुई । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक के अभिभाषक द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये भी वह अपील प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को को समर्थन देते हुये गुणदोष पर अन्य तर्क प्रस्तुत किये गये हैं जो कि प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक्र नहीं है इसलिये उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 48 एवं अवधि विधान की धारा 5 पर आधारित होकर आदेश पारित किया गया है, जबकि आवेदक द्वारा संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर स्पष्ट किया गया था कि उसे प्रश्नाधीन आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त नहीं हो रही है और इसके समर्थन में नकल मॉग पत्र की रसीद प्रस्तुत की गई थी । अतः अपर आयुक्त को सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय देना चाहिये था इसी प्रकार अपर आयुक्त द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र केवल इस आधार पर निरस्त किया गया है कि आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि अनावेदकगण द्वारा जो प्रतिवाद किया गया उस प्रतिवाद के साथ अनावेदकगण द्वारा भी शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । अपर आयुक्त को चाहिये था कि समय सीमा पर तथ्य का विश्लेषण कर निर्णय लेते । स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–2–2015 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर

देकर अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर पुनः विचार कर निर्णय लें एवं धारा 48 के अन्तर्गत सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को समय दें ।

8 / यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 846–पीबीआर / 2015 एवं निगरानी प्रकरण कमांक 1381–पीबीआर / 2015 पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक मूल प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर